

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू, जिला जयपुर

वादी- कैलाश

प्रतिवादी- प्रभु व अन्य

केस संख्या : 17/2015

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11.06.2016	<p>आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई।</p> <p>वकील वादी उप0। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 बावजूद कैम्प कोर्ट नोटिस तामील अनु0। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। तहसीलदार मौजमाबाद की ओर से पैरोकार राज0 उप0।</p> <p>वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी खसरा नंबर 58 रकबा 07 बीघा 16 बिरवा वाके ग्राम कचनार, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर की आराजीयात में 1/3 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 भूमाफिया किस्म के लोग है जो जबरन वादी की आराजीयात पर कब्जा करने पर उतारू है, जिससे सुरक्षार्थ प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक होने से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।</p> <p>बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादी वादग्रस्त आराजीयात में 1/3 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।</p> <p>प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने बावजूद कैम्प नोटिस तामील कैम्प में उपस्थित होकर ना तो स्वयं एवं ना ही अपने अधिवक्ता के मार्फत अपना पक्ष प्रस्तुत किया है इस कारण न्यायहित में वाद का निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के विरुद्ध एकपक्षीय किया जाकर, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे खसरा नंबर 58 रकबा 07 बीघा 16 बिरवा वाके ग्राम कचनार, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर की आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी, कब्जा इत्यादि ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 11.06.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत गिदानी में सुनाया गया।</p>	

(सावन कुमार चायल)  
सहायक कलेक्टर (फा.ट्रेक)  
दूदू, जिला जयपुर